

भाग -III

हरियाणा सरकार

इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 अगस्त, 2017

संख्या का०आ० 56/ह०अ० 6/2017/घा० 1/2017 .- हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रथम अप्रैल, 2017 को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए तिथि के रूप में नियत करते हैं।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 2nd August, 2017

No. S.O. 56/H.A. 6/2017/S. 1/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Haryana, Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2017, (6 of 2017), the Governor of Haryana hereby appoints the 1st day of April, 2017, to be the date for the purposes of said sub-section.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Electronics and Information Technology Department.